रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 71] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 14, 1978/चैत्र 24, 1900
No. 71] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 14, 1978/CHAITRA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात-व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 24-आई०टी०सी० (पी०एन०)/78

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1978

विषय: यू०के०/भारत पूंजी निवेश अनुदान 1978, दिनांक 4-1-78 के लिये लाइसेंस शर्तें।

सं० आई०पी०सी/39/14/77.—यू०के०/भारत पूंजी निवेश अनुदान 1978 के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों के जारी किये जाने के संबंध में शासित करने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, वे सूचनार्थ अधिसूचित की जाती है ।

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 24-आई०टी०सी० (पी०एन०)/78 दिनांक 14-4-1978 के लिये परिशिष्ट

यू०के०/भारत पूंजी निवेश अनुदान 1978 दिनांक 4-1-78 के लिये लाइसेंस शर्तें

1 सामान्य शर्तें:

आयात लाइसेंस का शीर्षक यू०के०/भारत पूंजी निवेश अनुदान 1978 होगा । लाइसेंस संख्या और प्रत्ययों के रूप में "आर०/के०के०" के साथ लाइसेंस कोड के अतिरिक्त, इसमें कंडिका 3 में दिये गये विवरणों के रूप में नियतन संख्या होनी चाहिये और ये नियतन नीचे के किसी एक सिग्मेंट से संबंधित होंगे :—

'ए०' सिग्मेंट (निजी क्षेत्र सिग्मेंट)

जहां लाइसेंस पूंजीगत माल समिति द्वारा प्रदान की गई निकासी के आधार पर निजी क्षेत्र एकक को जारी किया जाता है ।

'बी०' सिग्मेंट (सार्वजनिक क्षेत्र सिग्मेंट)

जहां वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र एककों या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागीय प्रकमों के नाम में प्रदान किये गये विदेशी मुद्रा की निकासी प्राप्त करने के बाद प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुमोदन के आधार पर लाइसेंस जारी किया जाता है ।

'डी०' सिग्मेंट (आई०एफ०सी०आई०, सिग्मेंट के लिये)

जहां आई०एफ०सी०आई० द्वारा प्रदान की गई विदेशी मुद्रा की निकासी के आधार पर विकास परियोजनाओं को आई०एफ०सी०आई० द्वारा वित्तयुक्त किया गया लाइसेंस जारी किया जाता है ।

'ई०' सिग्मेंट (आई०सी०आई०सी० आई०, सिग्मेंट)

जहां आई०सी०आई० सी० आई० द्वारा प्रदान की गई विदेशी मुद्रा की निकासी के आधार पर विकास परियोजनाओं को आई०सी० आई०सी०आई० द्वारा वित्तयुक्त किया गया लाइसेंस जारी किया जाता है।

2. आयात लाइसेंस की पावती के 15 दिनों के भीतर ही आयातक को चाहिये कि वह आयात लाइसेंस की एक फोटो स्टेट प्रति आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई०-2 अनुभाग) को भेजें। इसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग यू०सी० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भी भेजी जानी चाहिये।

3 परिचय प्रत्यय (क) यू०के०/पूंजी निवेश अनुदान 1978 के अन्तर्गत प्रत्येक नियतन में परिचय प्रत्यय सी०आई०जी० प्रतीक होगा जिसमें अनुदान का संकेत होगा और उसमें एक पत्र लगा रहेगा जो अनुदान के सिग्मेंट को प्रदर्शित करेगा (निजी क्षेत्र सिग्मेंट के लिये "ए", सार्वजनिक क्षेत्र सिग्मेंट के लिये "बी०" आई०एफ०सी०आई० सिग्मेंट के लिये "डी०" और "आई०सी०आई०सी०आई० सिग्मेंट के लिये "ई०") जिस वर्ष में नियतन किया जाता है उसका संकेत करते हुए संख्या दी जायेगी और उसमें नियतन संख्या इस क्रम में होगी :—

अनुदान/सिग्मेंट/वर्ष/आबंटन की क्रम संख्या
उदाहरण के लिये : सी०आई०जी०/ए०/78/1(जी०ओ०आई०)

(ख) यू०के० सरकार की पूर्व अनुमति से किये गये नियतन के मामले में या आई०एफ०सी०आई० तथा आई०सी०आई०सी०आई० के मामले में प्रतीक (जी०ओ०आई०) परिचय प्रत्यय में नहीं रहेगा।

(ग) एक नियतन-बहुविधि लाइसेंस : चूंकि प्रदान किये गये नियतन के मद्दे एक से अधिक लाइसेंस हो सकता है, आयात लाइसेंस जारी करते समय लाइसेंस प्राधिकारी यह सुनिश्चय करेंगे कि नियतन से संबंधित प्रत्येक में एक और परिचय चिह्न होगा, उदाहरण के लिये, (1) सी० आई०जी०/ए०/78/1(जी०ओ०आई०) अर्थात् अनुदान (सिग्मेंट/वर्ष/नियतन की क्रम सं०) लाइसेंस की क्रम संख्या

(2) सी०आई०जी०/ए०/78/1(जी०ओ०आई०)/2

(घ) एक लाइसेंस-बहुविधि संविदाएं : चूंकि एक आयात लाइसेंस के मद्दे एक से अधिक खरीद आदेश/संविदा हो सकती है, लाइसेंसधारी कि यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह सुनिश्चय करे कि आयात लाइसेंस के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश में एक और परिचय चिह्न (1), (2) आदि दिया जाता है, उदाहरण के लिये :—

(1) प्रथम लाइसेंस के मद्दे—सी०आई०जी०/ए०/78/1(जी०ओ० आई०)/1(1) अर्थात् अनुदान सिग्मेंट/वर्ष नियतन की क्रम संख्या नियतन के मद्दे आयात लाइसेंस की क्रम संख्या/आयात लाइसेंस की क्रम संख्या (आयात लाइसेंस के मद्दे आदेश की संख्या) सी०आई०जी०/ए०/78/1(जी०ओ०आई०)/1(2)

(2) द्वितीय लाइसेंस के मद्दे :—इसी तरह, इस नियतन के मद्दे द्वितीय लाइसेंस के मद्दे आदेश के लिये :—
सी०आई०जी०/ए०/78/1(जी०ओ०आई०)/2(1)
सी०आई०जी०/ए०/78/1(जी०ओ०आई०)/2(2) आदि आदि।

टिप्पणी:—इस खंड में संकेतित परिचय प्रत्यय, लाइसेंस प्राधिकारी एवं लाइसेंसधारी को क्रियाविधि समझने के लिये केवल एक उदाहरण है। आयात लाइसेंस जारी करते समय उस पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा संकेतित किये जाने वाले विशेष व्यक्तिगत आबंटन के संबंध में वास्तविक परिचय प्रत्यय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संकेतित किये जायेंगे।

4. भुगतान की विधि :—साख-पत्र की स्थापना कर सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से संभरकों को भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन नीचे के खण्ड-4 में दिये गये ब्यौरे के अनुसार इस प्रकार के आदेश दिये जाने के लिये एक विशेष प्राधिकरण सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से प्राप्त कर लिया जाना चाहिये। भारतीय अभिकर्ता के किसी कमीशन के लिये भुगतान भारत स्थित अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिये। लेकिन, इस प्रकार के भुगतान लाइसेंस मूल्य के अंश होंगे, और ये इसलिये, इसके लिये लिये जायेंगे।

5 वैधता अवधि :—लाइसेंस 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिये जारी किया जायेगा लेकिन जहां यह संभावना हो कि संभरणों को पूरा करने में अधिक समय लगेगा तो लाइसेंस की वैधता अवधि भी उपयुक्तः बढ़ा दी जायेगी। पक्के आदेश लागत जीमा भाड़ा या लागत भाड़ा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने के चार माह की अवधि के भीतर अवश्य दे दिया जाना चाहिये। यदि आदेश वैध कारणों से प्रथम चार महीने के भीतर नहीं दिये जा सकते, लाइसेंस को लाइसेंस प्राधिकारी के पास चार माह की अवधि के भीतर या उसके तत्काल बाद जमा कर देना चाहिये। इस कारण का उल्लेख कर देना चाहिये कि आदेश देने में देर क्यों हुई और यह भी संकेत कर देना चाहिये कि अगला आदेश किस तारीख तक दिया जा सकता है और आदेश देने के लिये जैसी अवधि वृद्धि जरूरी हो, उसे भी बता देना चाहिये। इस प्रकार के आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जायेगा जो अधिक से अधिक 4 माह की और अवधि वृद्धि स्वीकृत कर सकता है। लेकिन, यदि वृद्धि की मांग आयात लाइसेंस के जारी होने से 8 मास से अधिक के लिये की जाती है तो इस प्रकार के प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई०-2 अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जायेंगे।

6. आदेश दिया जाना : इसे नोट कर लेना चाहिये कि जब तक 4 माह के भीतर आदेश देने का काम पूरा नहीं कर लिया गया हो या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत बढ़ाई गई अवधि और विशेष प्राधिकरण (उपर्युक्त कंडिका 4 में संकेत किये गये के अनुसार) प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत व्यापारी साख-पत्र की स्थापना करने की स्वीकृति नहीं देंगे।

7 आदेश देने के आधार : कैश : आदेश नकद के आधार पर दिये जाने चाहिये और सभी भुगतान लाइसेंस की समाप्ति के दो माह के भीतर या इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर पूरे किये जाने चाहिये। अकेले भुगतानों की व्यवस्था माल के पोतलदान हो जाने पर अवश्य की जानी चाहिये। किसी भी प्रकार की साख सुविधा नहीं दी जायेगी।

2. आदेशों/संविदाओं में शामिल की जाने वाली या अन्यथा रूप से ध्यान में रखे जाने वाली विशेष बातें :—

1 जब पक्के आदेश/संविदा दी जा रही हो जो कि यू०के० सभरकों को ही दी जानी चाहिये (जिसकी अभिव्यक्ति में चैनल आफ आई०आइलैंड तथा आइल आफ मैन भी शामिल है), लाइसेंस-धारी को उसमें दी गई एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चय कर लेना चाहिये कि खरीदे गये माल पूर्णतया या प्रधानतया यू०के० में उत्पादित अथवा निर्मित है या होंगे। जब इस प्रकार के माल खरीदने से संबंधित सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है, तो उसमें निश्चित उपर्युक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि ऐसे काम तथा सेवायें साधारणतया यू०के० निवासी अथवा जो वहां व्यापार कर रहा है, उसके द्वारा प्रदान की जाती है अथवा की जायेंगी।

2 यू०के० वस्तु का सुनिश्चय करने की आयातकों की जिम्मेदारी :

(1) यू०के०/भारत पूंजी निवेश अनुदान 1978 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस साधारणतया केवल यू०के० में प्राप्त एवं उत्पादित अथवा विनिर्मित सामान और/अथवा माल के लिये वैध होंगे ।

(2) भारतीय आयातक को उसके स्वयं के हित के लिये परामर्श दिया जायेगा कि वह पहले से ही यू०के० सभरकों से इस बात का सुनिश्चय कर ले कि प्रस्तावित आयातों में किसी प्रकार का यू०के० तत्व है और यदि है, तो उसकी प्रतिशतता क्या है । इसे विशेष रूप से जाने बिना उसे किसी भी हालत में यू०के० सभरकों के साथ पक्के वायदे अथवा संविदा नहीं करनी चाहिये ।

(3) जब इस प्रकार की पूछताछ करने पर यह पता लग जाता है कि आयात किये जाने वाले प्रस्तावित माल में गैर यू०के० तत्व है तो उसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू० ई०-2 अनुभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को इस बात की पुष्टि से अवश्य ही अवगत करवाना चाहिये कि क्या आयातक की भावी यू०के० सभरक के साथ अपने आदेश/संविदा पूर्ण करने पर आगे कार्य करना चाहिये या नहीं । इस संबंध में इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि विशेष मामलों में केवल एक संविदा के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 20% की सीमा तक के गैर यू०के० तत्व को यू०के०/भारत पूंजी निवेश अनुदान 1978 के अन्तर्गत वित्तदान के लिये स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि गैर यू०के० वस्तु परिष्कृत उत्पादों का एक मुख्य भाग है और गैर यू० के० मूल के माल का उपयोग स्वतन्त्र रूप से आयात किये जाने वाले प्रस्तावित परिष्कृत उत्पादों के रूप में नहीं किया जा सकता है । इस प्रयोजन के लिये आयातकों को चाहिये कि वे यू०के० संभरकों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाणपत्र की एक प्रति को संलग्न करते हुए विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के लिये उपयुक्त निर्धारित प्रपत्र [अनुबन्ध 2 या अनुबन्ध 2(बी०)] में आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई-2 अनुभाग) वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को आवेदन करे।

3 नीचे के खण्ड 3 और खण्ड 5 में उल्लिखित प्रलेखन आवश्यकताओं को तथा नीचे के खण्ड 4 में निर्धारित भुगतान की प्रक्रिया का ध्यान में रखा जाना चाहिये तथा संविदा में उचित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

3. संविदा की अधिसूचना तथा तत्संबंधी संशोधन:

1 आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की तीन प्रतियां (संलग्न अनुबंध 1 के रूप में) संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र (संलग्न अनुबंध 2 अथवा 2 (बी) के रूप में, जो भी उपयुक्त हो) की तीन प्रतियों के साथ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें ।

2. वित्त मंत्रालय को उपर्युक्त प्रलेखों को भेजते समय लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाइसेंस की संख्या तथा तारीख और अनुबंध का नाम भली-भांति लिख दिया गया है । लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस के मदे प्रत्येक संविदा में परिचय प्रत्यय अवश्य दे देना चाहिए उदाहरण के लिए यदि आयात का परिचय प्रत्यय सी० आई० जी०/ए०/78/1, जी० ओ० आई०/1, है, तो इस लाइसेंस के अन्तर्गत पहली संविदा के लिए परिचय प्रत्यय सी० आई० जी०/ए०/78/1 (जी० ओ० आई०) 1/(1) होना चाहिए, इस लाइसेंस के मदे दूसरी संविदा के लिए सी० आई० जी०/ए०/78/1 (जी० ओ० आई०)/1(2) आदि होना चाहिए तथा जब लाइसेंसधारी वित्त मंत्रालय को संविदाएं अग्रसारित कर रहा हो तो तत्संबंधी अव्ययन लाइसेंस के अन्तर्गत दी गई संज्ञाओं की संख्या तत्संबंधी ब्यौरे अवश्य दिए जाने चाहियें । इस ब्यौरे की शुद्धता के लिए आयातक ही एक मात्र रूप से जिम्मेवार होगा।

3. किसी समय संविदा में संशोधन किया जाता है या संविदा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित धनराशि से ज्यादा धनराशि के लिए उसके अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेदारी विहित की जाती है, तो लाइससधारी को चाहिए कि वह तत्संबंधी अनुपूरक या संशोधित प्रलेखों को संविदा के लिए संशोधित प्रतियों को यथा संशोधित "संविदा प्रमाण-पत्र" को सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय को भेज दें ताकि वे इसकी सूचना यू० के० सरकार को दे सकें।

4. किसी मामले में, यू० के० संभरक के भारतीय अभिकर्ता के साथ संविदा की जाती है, तो उस यू० के० संभरक के नाम का संकेत होना चाहिए जिसको संविदा के उस स्टर्लिंग अंश के लिए भुगतान किया जाना है जो केवल इस ऋण के अन्तर्गत भुगतान के योग्य होगा, ऊपर निर्धारित किए गए के अनुसार इस प्रकार की प्रतियों को (या उन संविदाओं की प्रतियों जो यू० के० संभरकों के साथ भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा की गई हैं, यदि इस प्रकार की पृथक संविदाएं हैं) भेज दिया जाना चाहिए।

4. यू० के० संभरकों की भुगतान साख-पत्र की प्रक्रिया :

1. लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह यू० के० संभरकों के नाम में यू० के० से सम्बद्ध बैंकों में से किसी भी एक बैंक में भारत में किसी मुद्रा विनिमय करने वाले बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण-पत्र हेतु सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (आर्थिक सहायता लेखा शाखा) अर्थकार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आवेदन करें।

2. प्राधिकरण-पत्र के लिए आवेदन अनुबंध 3 में दिए गए रूप में किया जाना चाहिए और उसके साथ पक्के आदेश की तथा यू० के० संभरक द्वारा पूर्ण किए गए संविदा प्रमाणपत्र की एक प्रति होनी चाहिए। पत्र अनुबंध-2 या अनुबंध 2(बी) (जो भी उचित हो) में निर्धारित किए प्रपत्र में होना चाहिए और आयात लाइसेंस अथवा उसकी फोटो प्रति विनिमय दर के सत्यापन के लिए दी जानी चाहिए।

3. यदि आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग आयातक और सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय प्राधिकृत बैंक को अपेक्षित धनराशि के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेगा । वित्त मंत्रालय के प्राधिकरण पत्र में भी खरीद आदेश अर्थात् सी० आई० जी०/ए०/78/1 (जी० ओ० आई०)/1(1) के परिचय प्रत्यय आदि का उल्लेख करना होगा। परिचय प्रत्यय को स्थापित किए जाने वाले साख-पत्र में तथा साख-पत्र के अन्तर्गत भेजे जाने वाले सभी प्रलेखों में भी संकेत होना चाहिए । वित्त मंत्रालय सम्बद्ध यू० के० बैंक को भी परामर्श देगा । लेकिन, यू० के० बैंक को दिया गया परामर्श सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय बैंकों को उनके प्राधिकरण की प्रति के साथ भेजा जाएगा उन्हें साख-पत्र खोलते समय यू० के० बैंक को संप्रेषित करना चाहिये।

4. प्राधिकरण (वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हुए) के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर साख-पत्र खोल दिया जाना चाहिये ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्राधिकरण समाप्त हो जायेगा । साख-पत्र में उन शर्तों का उल्लेख होना चाहिये । जिसके अधीन लाइसेंस दिया गया है, नीचे के खण्ड 5 में उल्लिखित सभी प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण के बाद संभरकों को भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । भुगतान के बाद प्रलेखों के प्रेषण करने से संबंधित अनुदेशों को पूरी तरह समाविष्ट करना चाहिए और इसे इस शर्त के अधीन खोला जाना चाहिए कि यू०के० में सम्बद्ध बैंक लाभ प्राप्त फर्मों को प्रारंभिक रूप से उनकी अपनी

विधि से भुगतान करने के बाद उसकी प्रतिपूर्ति भारत के उस बैंक से प्राप्त करेगा जिसमें साख-पत्र की स्थापना की गई थी । साख-पत्र खोलने के संबंध में भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक के अनुदेशों की वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के पूर्ण रूपेण अनुरूप होना चाहिए । किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं होना चाहिए ।

5. साख-पत्र में स्पष्टरूप से अनुबन्ध शीर्षक, नियतन संख्या और अन्य विवरण जैसे दिए गए नियतन के अन्तर्गत संविदा लाइसेंस की क्रम संख्या और प्राधिकार पत्र में यथा संकेतित आयात लाइसेंस आदि से संबंधित संविदा की क्रम संख्या को चिह्नित किया जाना चाहिए ।

6. यदि पहले से ही जारी किए गए प्राधिकार पत्र को आयात लाइसेंस के मूल्य को बढ़ाने के आधार पर संशोधित किया जाना है तो आयातक के आवेदन-पत्र के साथ आयात लाइसेंस अथवा उसकी फोटो स्टेट प्रति भेजी जानी चाहिए जिसमें आयात लाइसेंस के मूल्य मे बढ़ाई गई धनराशि के लिए लागू विनिमय दर का संकेत हो ।

5. प्रलेखन :

1. यह देखने की जिम्मेदारी आयातक की है कि यू० के० संभरक को भेजे गए माल के लिए भुगतान की मांग करते समय यू० के० बैंक के लिए नीचे उल्लिखित प्रलेखों को पूरा करता है और प्रस्तुत करता है :—

(1) चार फोटो प्रतियां या अन्य किसी विधि से तैयार की गई प्रतियों के साथ मूल बीजक (1) (बीजक में आयातक का नाम और पता, संभरित की गई प्रत्येक मद की मात्रा और विस्तृत विवरण सभी व्यापार छूटों) को प्रतिबिंबित करते हुए प्रत्येक मद के लिए विक्रय कीमत, विवरण का आधार (लागत भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा) और किसी प्रकार की अनुषंगिक सेवाएं जिसमें विवरण या लौवहन या परिवहन बीमा सेवाएं शामिल हैं उसकी स्टर्लिंग लागत को दिखाना चाहिए ।

(2) महासागर या चार्टर लदान-पत्र की एक प्रति (या फोटो स्टेट) या वायु मार्ग बिल या डाक पार्सल रसीद (लदान-पत्र वाहक के खर्चों का विवरण निर्दिष्ट करेगा चाहे इन खर्चों का भुगतान किसी भी मुद्रा में किया गया हो) ।

(3) अनुबन्ध-5 में दिए गए प्रपत्र में भुगतान प्रमाण-पत्र की चार चार प्रतियां [ऐसी संविदाओं के संबंध में इनकी आवश्यकता नहीं जिनके लिए अनुबंध-2 (बी) में दिए गए प्रपत्र में एक संविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक) की पूर्ति की गई है] । इस उद्देश्य के लिए, संभरक द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय भरने के लिए, निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्रमाण-पत्र के पांच खाली प्रपत्र साख-पत्र के साथ संलग्न करने चाहिएं ।

(4) अनुबन्ध-2 या अनुबन्ध-2(बी) में निर्धारित संविदा प्रमाण-पत्र की तीन प्रतियां । प्रत्येक प्रलेख में ऋण शीर्षक, परिचय प्रत्यय, आयात लाइसेंस के ब्यौरे तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख-प्राधिकरण पत्र के विवरण को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए । लेकिन उपर्युक्त (2) पर दिखाए गए दस्तावेज अर्थात् समुद्र अथवा चार्टरपार्टी लदान बिल या वायुमार्ग बिल या डाक पार्सल रसीद में केवल पहचान प्रत्यय और साख-पत्र की संख्या को दर्शाया जाना चाहिए ।

2. जब साख-पत्र खोला जा रहा हो तो, भारत के प्राधिकृत विदेशी मुद्रा विनिमय बैंक आयात की ओर से इस बात का सुनिश्चय करने के लिए प्रलेखन की उपर्युक्त जरूरतों को नोट कर लिया गया है तथा यू०के० संभरको द्वारा इसका अनुपालन किया गया है, साख-पत्र में आवश्यक शर्तों को शामिल करने पर ध्यान देगा ।

3. संभरक को भुगतान किए जाने के बाद यू०के० का संबंधित बैंक भारतीय सम्बद्ध बैंक को प्रलेखों का मूल परक्राम्य सेट को वायुमार्ग से भेजेगा । भारतीय बैंक यू० के० बैंक को उसके द्वारा बैंक प्रभारों सहित यू०के० संभरकों को किए गए भुगतानों की प्रतिपूर्ति प्रेषण द्वारा करेगा । यू० के० बैंक के लिए भुगतान अवश्य ही आयात लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से 2 मास की अवधि या समय-समय पर आयात नियंत्रण नीति में घोषित निर्धारित अवधि इनमें जो भी कम हो उसके भीतर पूरे कर दिए जाने चाहिये । भारतीय बैंक बैंक प्रभारों के साथ इसके द्वारा यू० के० संभरकों को किए गए भुगतान को परेषण द्वारा यू० के० बैंक को प्रतिपूर्ति करेगा । भारतीय बैंक द्वारा आयातकों से इस प्रकार की विदेशी मुद्रा परेषणों की तत्संबंधी समतुल्य रुपए मे वसूली दोनों के बीच हुई सहमति से तय की गई व व्यवस्थाओं के अनुसार की जाएगी । यू० के० बैंक भी पूर्ण किए गए भुगतान प्रमाण-पत्र की एक अपरक्राम्य प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगा ।

6. यू० के० अनुबान के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्ति के लिए भारत सरकार को सक्षम बनाने में भारतीय बैंक की जिम्मेदारी :

बैंक प्रभारी के साथ इसके द्वारा यू० के० संभरकों को स्टर्लिंग भुगतानो के यू० के० बैंक में प्रतिपूर्ति के बाद: भारतीय बैंक को चाहिए कि वह 10 दिनों के भीतर आवश्यक प्रलेखों की सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे ताकि भारत सरकार यू० के० अनुबान के अन्तर्गत आवश्यक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सके । भेजे जाने वाले प्रलेख ये है :—

(1) यू० के० संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुबन्ध-2 या अनुबन्ध-2 (बी) (जैसा उचित हो) के रूप में संविदा प्रमाण-पत्र तथा संबंधित साख-पत्र की एक प्रति ।

(2) यू० के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुबन्ध-4 मे दिए गए के अनुसार भुगतान प्रमाण-पत्र ।

(3) खण्ड 5 में उल्लेख किए गए के अनुसार बीजक तथा लदान बिल जहां संविदा के अन्तर्गत यू० के० संभरक को एक से अधिक भुगतान किया जाना है, संविदा प्रमाण-पत्र तथा साख-पत्र की एक प्रति भेजने की आवश्यकता केवल प्रथम भुगतान के लिए है तथा आगामी भुगतानो में केवल भुगतान प्रमाण-पत्र भेजने की आवश्यकता और बीजकों को वित्त मंत्रालय को भेजने की आवश्यकता है, परिचय प्रत्यय को संबंधित संविदा प्रमाण-पत्र तथा साख-पत्र में उद्धृत किया जाना चाहिये ।

7. आयात लाइसेंस के उपयोग किये जाने के संबध में रिपोर्ट :—

अनुबन्ध-5 में यथा संलग्न अनुबंध में, लाइसेंस के उपयोग किए जाने की स्थितियों को प्रदर्शित करते हुए एक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख को या इससे पहले इनको भेजनी चाहिये :—

(1) सहायता लेखा नियंत्रक, (सहायता लेखा शाखा), वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग, यू. सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, 10, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।

(2) ..... अनुभाग अधिकारी, डब्ल्यू० ई-2, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय नई दिल्ली ।

जहां पर विदेशी मुद्रा की रिहाई आई एफ सी आई और आई सी आई सी आई द्वारा कर दी गई हों तो रिपोर्ट तत्संबंधी सम्बद्ध संघटनों को भेजी जानी चाहिएं ।

8. विविध:—

1. विशेष शर्तों के अधिसूचित किए जाने वाले संभरक.—आयात लाइसेंस में ऐसी कोई विशेष शर्तें हों जो कि संभरक पर सौदे

के पालन करने मे प्रभाव डाले, लाइसेसधारी को चाहिए कि वह सभरक को इससे अवगत करा दे।

2 यू० के० सभरको से धन वापसी —यदि सभरक, पोत वाणिक तथा बीमाकर्ता से लाइसेसधारी द्वारा किसी प्रकार की धन वापसी प्राप्त होती है और जसे ही ये धनराशि प्राप्त की जाती है, तो प्राप्त धनराशि का पूरा विवरण प्रदर्शित करते हुए तत्सबधी अन्य विवरणो के साथ ऊपर के खण्ड 6 मे दिए गए पते पर वित्त मत्रालय को भेजना चाहिये।

3 विवाद —यह जान लेना चाहिये कि लाइससधारी और सभरका के बीच या किसी प्रकार की जिम्मेदारी जो कि लाइसेसधारी और सभरको के बीच हो, यदि उसमे किसी प्रकार का विवाद उठ खडा होता है तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नही लेगी।

4 भविष्य के लिए अनुदेश —आयात लाइसेंस या इससे सबधित किसी एक या सभी मामलो पर तथा ऋण करार के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारो को को पूरा करने के संबध मे सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशो, आदेशो या अनुदेशो को तुरन्त पालन करेगा।

5 उल्लघन या अतिक्रमण —उपर्युक्त कडिका मे की गई शर्तों के उल्लघन या अतिक्रमण करने पर आयात-निर्यात (नियत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

9 शीर्षको के अनुसार अनुबन्धो की सूची

अनुबन्ध—1	सविदा की अधिसूचना
अनुबन्ध—2	सविदा प्रमाण-पत्र
अनुबन्ध—2(बी)	सविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक)
अनुबन्ध—3	साख-पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप
अनुबन्ध—4	भुगतान प्रमाण-पत्र
अनुबन्ध—5	आयात लाइसेंस के लिए आदेश देने तथा उसका उपयोग धन वापसी की प्राप्ति के सबध मे रिपोर्ट
अनुबन्ध—6	

अनुबन्ध—1

यू० के०/भारत पूंजी निवेश अनुदान 1978

संविदा की अधिसूचना

सेवा मे,

काउन एजेन्ट

संविदा की अधिसूचना सख्या

संविदा के निम्नलिखित ब्यौरे हैं जिसके अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदान की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा —

1 यू० के० संविदाकर्ता का नाम तथा पता

2 संविदा का दिनांक

3 खरीददार का नाम

4 माल का सक्षिप्त ब्यौरा तथा/
अथवा कार्य अथवा सेवाए

5 संविदा का मूल्य

6 भुगतान की शर्तें

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के

हस्ताक्षर

अनुबन्ध—2

यू० के०/भारत पूजी निवेश अनुदान 1978

संविदा-प्रमाण-पत्र

संविदा का ब्यौरा

आयात लाइसेस की सख्या परिचय प्रत्यय सख्या

1 संविदा की तिथि

2 संविदा संख्या

3 खरीददार को दिए जाने वाले माल अथवा सेवाओ का विवरण

यदि कोई मदो की पूर्ति की जानी है, तो इस प्रमाण-पत्र के साथ उसकी एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिए।

4 क्रेता द्वारा देय कुल संविदा मूल्य (लागत-बीमा-भाडा, लागत तथा भाडा या जहाज पर निःशुल्क का उल्लेख कीजिए)।

पौंड .....

यदि माल का संभरण किया जाना है, तो निम्नलिखित खण्डों का अनुपालन करना अनिवार्य है (यदि संविदाकर्ता केवल निर्यातक अभिकर्ता है, तो मांगी हुई सूचना निर्माणकर्ता से प्राप्त करनी चाहिए)।

5. खरीददार को संभरण किए जाने वाले माल का विवरण	कीमत पौण्ड	यू० के०/टैरिफ/ ट्रेड कोड सं०
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

6 जो माल यू० के० मूल का नहीं है, परन्तु संविदाकार द्वारा सीधे बाहर से खरीदा गया है जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत जैसे आयातित कच्चे माल या निर्माण किए गए संघटकों का प्रतिशत :—

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य..

(ख) मदों का विवरण तथा संक्षिप्त विशिष्टिकरण..

7. यदि विदेश मूल के किसी कच्चे माल यथा संघटकों का उपयोग किया गया हो, जैसे ताम्बा, अबह्, कपास, लकड़ी लुगदी आदि, परन्तु संविदाकर्ता द्वारा इस संविदा के लिए इसकी खरीद यू० के० में की गई है तो उसका उल्लेख करें :—

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य..

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण..

यदि सेवाएं प्रदान की जानी है तो निम्नलिखित खण्डों की भी पूर्ति की जानी चाहिए

8 नीचे लिखे द्वारा किए गए किसी काम या खरीददार के देश में निष्पादन सेवाओं का अनुमानित मूल्य बताए :—

(क) आपकी फर्म स्थल, अभियंता के खर्चे आदि..

(ख) स्थानीय संविदाकर्ता..

9 उपर्युक्त कंडिका 6.7 या 8 में उल्लिखित विदेशी मदों के उपयोग करने के कारण बताए उदाहरणार्थ यू० के० निर्मित के समतुल्य उपकरण के मुख्य पुर्जे आदि उपलब्ध नहीं है।

10 उपर्युक्त कंडिका 6.7, या 8 के सम्बन्ध में जैसा आवश्यक हो, टिप्पणी दें..
....

11. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है। मैं एतद् द्वारा यह जिम्मेदारी लेता हूं कि उपर्युक्त कंडिका 6, 7, 8, और 10 में विशिष्टकृत को छोड़कर किसी और माल या सेवाओं का जो यू० के० मूल्य की नहीं है, संविदा के निष्पादन में संभरण नहीं किया गया है।

हस्ताक्षरित.....................
पद जिस पर वह है.....................
संविदाकर्ता का नाम और पता.....................
....
दिनांक.....................

टिप्पणी.—इस घोषणा के लिए यू० के०, दि चैनल आइलैंड और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है।

अनुबन्ध—2 (बी)

यू० के०/भारत पूंजी निवेश अनुदान, 1978

केवल रासायन और सम्बद्ध उत्पादों के लिए प्रमाण-पत्र संविदा की तिथि..
........संविदा संख्या ....आयात लाइसेंस संख्या..
.... दिनांक ....

खरीददार को संभरण किए जाने वाले उत्पाद (दों) का विवरण	पौण्ड मूल्य	यू० के० दर सूची वर्गीकरण संख्या	क्या उत्पाद यू० के० मूल्य का है
(टिप्पणी-ए)		(टिप्पणी-बी)	(टिप्पणी-सी, देखिए, हां या नहीं लिखिए)
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

3. खरीददार द्वारा भुगतान की जाने योग्य कुल/अनुमानित/संविदा कीमत स्टर्लिंग/पौण्ड में ....
....

4 (घोषणा) मे एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० मे नियोजित किया गया हू और वैध प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है और उपर्युक्त सूचना सही है ।

हस्ताक्षरित . . . . . .

पद किस पर है . . . . . .

संविदाकर्ता का नाम . . . . . .

और पता . . . . . .

दिनांक . . . . . .

टिप्पणी

ए इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रसायन तथा संबंधित उत्पादो के लिए किया जाना है जिनमे अधिकतर को यू० के० दर सूची के अध्याय, 15, 25, 28, 35 तथा 37, 40 के उपर्युक्त उप-शीर्षको द्वारा सम्मिलित किया गया है ।

अनुबन्ध—3

साख-पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

सहायता लेखा एव परीक्षा नियंत्रक,
(आर्थिक सहायता लेखा शाखा)
वित्त मंत्रालय,
(अर्थ कार्य विभाग)
जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

विषय —यू० के०/भारत पूंजी निवेश अनुदान, 1978 के अन्तर्गत यू० के० से . . . . . का आयात ।

महोदय,

उपर्युक्त यू० के० ऋण के लिए यू० के० से . . . . . का आयात करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित विवरण भेजते हैं, जिससे आप हमें हमारे बैंकरों के माध्यम से आपके द्वारा मनोनीत यू० के० बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण जारी करने में समर्थ हो सके :—

1. भारतीय आयातक का नाम और पता
2. (क) आयात लाइसेंस का विवरण :—
   (1) पूरी संख्या एवं दिनांक
   (2) मूल्य (रुपए)
   (3) लाइसेंस में यथा उल्लिखित विनिमय दर
   (4) तिथि जिस तक वैध है ।
   (ख) लाइसेंस मे दिए गए के अनुसार आबंटन संख्या/परिचय प्रत्यय
   (ग) लाइसेंस के अन्तर्गत की गई संविदाओं की संख्या . . . . . .
   (घ) उस संविदा की क्रम संख्या जिससे यह आवेदन-पत्र सम्बन्धित है

बी देखिए :—

1. एच०एम० कस्टम तथा एक्साइज टैरिफ एच०एम०एस०ओ०
2. ब्रेमरुस नामावली एच०एम०एस०ओ० में रसायनों का वर्गीकरण

सी. 1. यदि उत्पाद पूर्णतया यू० के० देशी माल से तैयार किया गया है तो वह उत्पाद यू० के० मूल का समझा जाता है अथवा उपर्युक्त ई०एफ०टी०ए० विशेषक विधि के अनुसार पूर्णतया अथवा अंशत आयातित माल प्रयोग किया जाता है।

2 एच०एम०ए०एस० और निर्यातको के प्रयोग के लिए ई०एफ०टी०ए० विशेषक विधि, ई०एफ०टी०ए० सार संग्रह के सूचक 1 में बताई गयी है।

3 प्रस्तुत घोषणा के लिए इस पर बल दिया जाता है कि निकासी प्रतिशत निकास लागू नहीं होता है।

4 उपर्युक्त सूचक मे जहा कहीं शब्द 'क्षेत्र मूल' आते हैं उनका तात्पर्य केवल यू० के० मूल से है।

5 प्रस्तुत घोषणा के लिए "मूल माल की सूची" (ए०एफ०टी०ए०सार० संग्रह का सूचनक-3) लागू नहीं होती है।

6 यदि विषयाधीन माल के लिए विशेषक विधि सूचीबद्ध नही है तो क्राउन एजेंट, सी०एस० 4 विभाग 4 मिल एम०डब्ल्यू० 1 से सलाह ले लेनी चाहिए ।

डी. इस घोषणा के लिए यू० के० चैनल आइलैण्ड्स तथा आइल्ज आफ मेन को शामिल करता है।

अनुबन्ध—4

यू० के०/भारत पूंजी निवेश अनुवान, 1978

भुगतान प्रमाण-पत्र

परिचय प्रत्यय संख्या .....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि :—

1. नीचे सूचीबद्ध किए गए बीजक मे उल्लिखित भुगतान वह या उसकी प्रतियां इस भुगतान प्रमाण-पत्र के साथ लगी हैं, बाकी है या नीचे लिखे गए संविदाकर्ता और ..... खरीदार ..... के बीच संविदा संख्या तारीख ..... के सम्बन्ध में बाकी पूरे किए जाने वाले है, और संविदा प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत अधिसूचित इस संविदा के विवरण के अनुसार है जो तारीख ..... को उक्त संविदाकर्ता के नाम पर हस्ताक्षरित है।

संविदाकर्ता के बीजक की सं०	तारीख	धनराशि पौण्ड	माल कार्य और/या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

2. कंडिका 1 में जो धनराशियां विशिष्टि कृत की गई हैं, वे संविदा प्रमाण-पत्र की कंडिका 6, 7 अथवा 8 में बताई गई के लिए किसी अतिरिक्त विदेशी वस्तु को शामिल नही करती है ।

3. नीचे लिखे संविदाकर्ता के नाम पर इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है ।

हस्ताक्षर .....

पद जिस पर वह है .....

के लिए और नाम पर संविदाकर्ता का

नाम और पता .....

.....

.....

.....

तारीख .....

टिप्पणी :—इस घोषणा के लिए यू० के० चैनल आफ आइलैण्ड और आइल्ज आफ मेन को शामिल करता है।

3. लाइसेंस का स्टर्लिंग मूल्य

4 यू० के० संभरक/संभरकों का नाम और पता बताते हुए दिए गए आदेश का स्टर्लिंग मूल्य जिसके लिए प्राधिकरण की जरूरत है और प्रत्येक संभरक के लिए (किए गए आदेश और उसके लिए यू० के० संभरक की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जानी है) अलग-अलग अपेक्षित प्राधिकरण को धनराशि/राशियां [भारतीय अभिकर्ता के कमीशन की यदि कोई धनराशि (एफ०सी० में) हो तो उसका विशेष रूप से संकेत किया जाना चाहिए] ।

5. उस भारतीय बैंक का नाम जो साख-पत्र खोलेगा ।

6. सम्बद्ध यू०के० बैंक का नाम जिस में साख-पत्र संस्थापित किया जाना है।

भवदीय,

(लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर तथा पूरा पता)

अनुबन्ध–5

यू०के०/भारत पूंजी निवेश अनुदान, 1978 के सम्बन्ध में उपयोग किए जाने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र।

(प्रत्येक आयात लाइसेंस के संबंध मे अलग से भेजा जाना है)

(जहा एक आयात लाइसेंस के महे एक से अधिक संविदाएं हों तो प्रत्येक संविदा के लिए अलग-अलग जानकारी भेजी जानी चाहिए)

परिचय प्रत्यय .....
(खण्ड-1 पैरा 2 देखें)

1. आयातक का नाम और पता
2. आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और उसका मूल्य
3. उपर्युक्त आयात लाइसेंस के लिए किए गए आदेश का दिनांक और मूल्य
4. जहां आयात लाइसेस के पूरे मूल्य के लिए आदेश नही दिए गए है वहा शेष आदेश देने की अवस्था का संकेत करें।
5. क्या लाइसेंस शर्तों में सम्बन्ध अनुबद्ध के अनुसार संविदा दस्तावेज सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, अर्थकार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को भेज दिए गए हैं/भेजे जा रहे हैं, इसका पुष्टिकरण (कोट किए गए पत्र (पत्रों) की संख्या और दिनांक)
6. यू०के० संभरक (संभरकों) के हक में खोले गए साख-पत्र (पत्रों) के मूल्य के ब्यौरे
7. भुगतान की अवस्था (पौण्ड तथा रुपए में)
   (ए) यू०के० संभरकों को किए गए वास्तविक भुगतान
      1. अप्रैल से सितम्बर तक
      2. अक्तूबर से मार्च तक
      3.
      4.

      (और इसी तरह आगे)

   बी. यू०के० संभरकों को किए जाने वाले भुगतानों का प्राक्कलन
      1. अप्रैल से सितम्बर तक
      2. अक्तूबर से मार्च तक
      3.
      4.

      (और इसी तरह आगे)
8. आयात लाइसेंस में ऐसे भाग का संकेत करें जो आदेश में शामिल नहीं किया गया और उसे अभ्यपूर्ण कर दिया गया।

हस्ताक्षर .....

अनुबन्ध–6

यू०के०/भारत पूंजी निवेश अनुदान, 1978 के अंतर्गत यू०के० से आयात के सम्बन्ध में संभरक/पोतवणिक/बीमाकर्ता द्वारा (अल्पावसरण क्षति इत्यादि के लिए दावे का निपटारा करने के लिए) प्राप्त धन वापसियों के विस्तृत ब्यौरे को दर्शाते हुए की रिपोर्ट।

(पौण्ड स्टर्लिंग में केवल निपटाए गए दावों के लिए)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम
2. यू०के० साख के ब्यौरे
3. आयात लाइसेस की संख्या और दिनांक
4. आयात लाइसेंस का मूल्य
5. प्राप्त धनवापसी की राशि
6. धनवापसी किस प्रकार की थी।
   (संक्षिप्त ब्यौरे दे)
7. सम्बद्ध दस्तावेज जिसके अन्तर्गत यू०के० संभरकों को प्रारम्भिक भुगतान किए गए थे उनका सन्दर्भ (वित्त मंत्रालय को दस्तावेज प्रेषित करते हुए भारतीय बैंक की पत्र संख्या और दिनांक के संदर्भ का संकेत करें)।
8. क्या प्राप्त की गई धन वापसियां माल के अदला-बदली के लिए प्रयोग की जानी है, यदि नहीं तो पुष्टि करें कि राशि वास्तव में प्राप्त कर ली गई है। उसे रुपए में भुना लिया गया है।
9. टिप्पणी

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर .....

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 24-ITC(PN)/78

New Delhi, the 14th April, 1978

Subject : Licensing conditions for the UK/India Capital Investment Grant 1978 dated 4-1-1978.

No. IPC/39/14/77.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under UK/India Capital Investment Grant, 1978, as given in Appendix to this public notice are notified for information.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX TO DEPARTMENT OF COMMERCE

Public Notice No. 24-ITC(PN)/78 dated 14-4-1978.

Licensing Conditions for the UK/India Capital Investment Grant, 1978 dated 4-1-1978.

1. General Conditions

The import licence will bear the superscription 'UK/India Capital Investment Grant, 1978'. In addition to the licence number and the licence code with 'R/KK' as suffixes, it should bear the allocation number in the manner detailed in paragraph 3, and these allocations will relate to one of the segments mentioned below :—

'A' Segment—private sector segment

Where the licence is issue in favour of a private sector unit on the basis of clearance accorded by the Capital Goods Committee.

'B' Segment—public sector segment

Where the licence is issued on the basis of sanction issued by the Administrative Ministry after obtaining clearance of foreign exchange from the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE II Section) New Delhi in favour of public sector units or departmental undertakings of Central or State Government.

'D' Segment—I.F.C.I. Segment

Where the licence is issued to development projects financed by the I.F.C., on the basis of clearance of foreign exchange accorded by I.F.C.I.

'E' Segment—I.C.I.C.I. Segment

Where the licence is issued to development projects financed by the I.C.I.C.I. on the basis of clearance of foreign exchange accorded by I.C.I.C.I.

2. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer must furnish a photostat copy of the import licence to the Department of Economic Affairs (WE II Section) A copy of this should also be sent to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

3. Identification Suffix.—(a) Each allocation under the 'UK/India Capital Investment Grant, 1978' will bear an identification suffix, the symbol 'CIG' indicating the Grant; followed by a letter showing the segment of the Grant ('A' for the private sector segment; 'B' for the public sector segment; 'D' for the I.F.C.I. Segment and 'F' for the I.C.I.C.I. Segment); followed by a number indicating the year in which the allocation is made; and followed by an allocation number, indicating in the following order :—

Grant/Segment/Year/Serial number of allocation.

For example : CIG/A/78/1(GOI)

(B) In cases of allocations made with the prior approval of the UK Government or in the case of I.F.C.I. and I.C.I.C.I., the symbol (GOI) will not appear in the identification suffix.

(C) One allocation-Multiple licences.—As there may be more than one licence against any given allocation, the licensing authorities will ensure, at the time of issue of the import licence, that each licence pertaining to an allocation will bear a further identification mark, for example,

(i) CIG/A/78/1(GOI)/I.

i.e. Grant/Segment/Year/Serial number of allocation/Serial number of licence.

(ii) CIG/A/78/1(GOI)/2

(D) One licence-Multiple contracts.—As there may be more than one purchase orders/contracts against an import licence, it is the responsibility of the Licencee to ensure that each order under an import licence is given a further identification mark (1), (2) etc. *for the example...*

(I) Against the first licence : CIG/A/78/1(GOI/(1).

i.e. Grant/Segment/Year/Serial number of allocation/Serial number of import licence against the allocation/serial number of order against the import licence

CIG/A/78/1(GOI)/I(2).

Against the second licence , similarly for orders.

Against the second licence against this allocation.

CIG/A/78/1(GOI)/2(1).

CIG/A/78/1(GOI)/2(2) etc etc.

Note :—The identification suffixes indicated in this section are only illustrative to unable the Licensing Authority and the licencee to understand the procedure. The actual Identification Suffix will be indicated by the Department of Economic Affairs in respect of specific individual allocation to be inscribed by the Licensing Authority on the import licence at the time of its issue.

4. Mode of Payment.—Payments to the supplier can be arranged through normal banking channel by establishing letters of credit, but a special authorisation for doing so should be obtained from the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi in the manner detailed in Section IV below. Any payment towards Indian Agents Commission should be made in Indian Rupees to the Agents in India. Such payments, however, will form part of the import licence value and will, therefore, be charged to it.

5. Validity period.—The licence will be generally issued with an initial validity period of 12 months Where however the deliveries are expected to materialise over a longer period, the initial validity of the licence would be extended suitably. Firm orders on CIF or C&F basis must be placed within four months from the date of issue of the import licence. If orders cannot be placed within first four months for valid reasons, the licence should be submitted to the licensing authority within the four months' period or immediately thereafter, giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed and extension in the period of ordering as necessary. Such requests will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of four months. If, however, extension is sought beyond eight months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (WE II Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

6. Placement of Orders.—It should be noted that unless ordering is completed within four months or the extended period specifically allowed by the licensing authority, and the special authorisation (as indicated in paragraph 4 above is obtained the authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of letters of credit.

7. Basis of orders—Cash.—Orders should be placed on cash basis and all payments must be completed within two months of the expiry of the licence or within the period that may be prescribed by the Government in this regard from time to time. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. No credit facilities of any kind will be permitted.

II. SPECIAL POINTS TO BE INCORPORATED IN THE ORDERS/CONTRACTS OR OTHERWISE KEPT IN VIEW

1. While placing orders/contracts, which must be placed only on the suppliers in the UK (which expression includes the Channel Islands and the Isle of Man), the licensee must ensure by a provision in the same that the goods purchased are or will be wholly or mainly produced or manufactured in the U.K. When the contract also provides for works and services in connection with the purchase of such goods, it must similarly be ensured by a suitable provision therein, that such works and services are or will be provided by persons ordinarily resident or carrying on business in the U.K.

2. Responsibility of the importer to ensure U.K. content :

(i) Import Licences under the UK/India Capital Investment Grant, 1978 will normally be valid only for goods and/or materials procured and produced or manufactured in the United Kingdom.

(ii) The Indian Importer will be well advised in his own interest to ascertain from the UK suppliers beforehand whether the proposed imports contain any non-UK element, and if so, the percentage thereof. Under no circumstances should be enter into a firm commitment or contract with a UK supplier without specifically ascertaing this point;

(iii) When on such an enquiry it is revealed that the goods proposed to be imported have non-UK element, the matter must be brought to the notice of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, WF II Section, North Block, New Delhi for confirmation whether the importer should proceed with the finanlisation of his order/contract with the prospective UK Suppliers. It may, in this connection, be mentioned that in exceptional cases non-UK element upto a limit of 20 per cent of the FOB value of the goods in a single contact may be agreed to be financed under the UK/India Capital Investment Grant 1978, provided the non-UK content forms an integral part of the finished products; and the non-UK origin material cannot be used independently of the finished products, proposed to be imported. For this purpose the Indian importer should apply for a specific approval enclosing a copy of the contract certificate, duly signed by the UK Suppliers, in the prescribed form (Annexure II or Annexure II(B)—as is appropriate) to the Department of Economic Affairs (WF II Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

3. The documentation requirements mentiond in Section III and V below and the payment procedure laid down in Section IV below should be kept in view and should be appropriately incorporated in the contract.

III NOTIFICATION OF CONTRACTS AND AMENDMENTS THERETO

1. Within a fortnight of placing of orders, the licensee should forward three copies of the contract or notification of contract (in he form attached as Annexure I) accompanied by thtree copies of the 'Contract Certificate' (in the form attached as Annexure II or Annexure II(B) (as is appropriate) duly signed by the supplier, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

2. While forwarding the above documents to the Ministry of Finance, it must be ensured by the Licensee that the number and date of the import licence and the name of the Grant are clearly noted in the documents. The Licensee must give the identification suffix in each of the contracts against an import licence. *For example* if the identification suffix of the imoort licence is CIG/A/781(GOI)/I the identification number for the first contract under this licence should be CIG/A/78/1(GOI)/I(I); for the second contract against this licence it should be CIG/A/78/1(GOI)/1(2) etc. and the licensee, while forwarding the contracts to the Ministry of Finance, must give the relevant details of the number of contracts placed under the relevant import licence todate. The importer will be solely responsible for the accuracy of these details

3. If at any time a contract is amended or if liability is to be incurred thereunder to a greater amount than the amount specified in the contract certificate, the licensee should within a foretnight of the date of the amendment of the contract forward the relevant supplementary or revised documents, copies of amendments to contracts and the revised 'Contract Certificate' to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance in order to enable them to notify the same to the U. K. Government.

4. If, in any case, the contract is with the Indian Agent of the UK Supplier, it should indicate the name of the UK Supplier to whom payment is to be made for the sterling portion of the contract which alone will qualify for payment under the Grant. Copies of such contracts (or of contracts placed by Indian Agents with UK suppliers, if there are such separate contracts) should be sent as prescribed above.

IV. PAYMENT TO UK SUPPLIER-LETTER OF CREDIT PROCEDURE

1. The Licensee should apply to the Controller of Aid Accounts & Audit (Economic Aid Accounts Branch), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi for a *letter of authorisation* to any of the Exchange Bank of India for opening a letter of credit in favour of the UK suppliers with one of the corresponding banks in the United Kingdom.

2. The request for the letter of authorisation should be in the form given in Annexure III and should be accompanied by a copy of the firm order and a 'contract certificate' completed by the United Kingdom supplier, the latter to be in the form set out at Annexure II or Annexure II(B) (as is appropriate), and the import licence or a photostat copy thereof for verification of exchange rate.

3. If the application is found to be in order, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs will issue a letter of authorisation for the requisite amount to the importer and the Indian Exchange Bank concerned. The letter of authorisation of the Ministry of Finance will also refer to the identification suffix of the purchase order e.g. CIG/A/78/1(GOI)/1(1) etc. The identification suffix should also figure in the letter of credit to be opened and in all the documents to be furnished under the letter of credit. The Ministry of Finance will also advise the UK Bank concerned. The advice to the UK Bank will, however, be sent to the Indian Exchange Bank concerned along with their copy of the authorisation letter who should transmit it to the UK Bank while opening the letter of Credit.

4. The Letter of Credit should be opened within a month from the date of issue of the authorisation (under intimation to the Ministry of Finance) failing which the authorisation will lapse. The Letter of Credit should detail the conditions to which the licence is subject ; should provide for payments to the suppliers on the submission of all the documents detailed in Section V below ; should contain adequate instructions regarding the despatch of documents after payment and should be opened subject to the conditions that the corresponding banks in UK, after making payments to the beneficiaries initially out of their own funds would obtain reimbursement from the bank in India on which the letter of credit was opened. The Indian Exchange Bank's instructions regarding the opening a letter of credit must accord completely with the authorisation issued by the Ministry of Finance. There should be no discrepancies in any respect.

5. The Letter of Credit should be clearly marked with the Grant title, allocation number and other particulars viz., serial number of import licence under the given allocation and the serial number of the contract pertaining to the import licence etc. as indicated in the letter of authorisation.

6. If a letter of authorisation already issued is to be amended on account of enhancement in import licence value, the request of the importer should be accompanied by the import licence or photostat copy thereof, showing the exchange rate applicable and the amount of increase in import licence value.

V DOCUMENTATION

1 The importer is responsible to see that the UK supplier completes and submits the documents detailed below to the UK Bank at the time of claiming payment for the goods supplied —

(i) The original invoice with four photo copies or copies by any other process (The invoice should show the name and address of the importer, quantity and detailed description of each item supplied, sales price for each item reflecting all trade discounts, the basis of delivery (C&F of CIF) and the sterling cost of any incidental services including delivery services or marine or transportation insurance

(ii) One copy (or photostat) of Ocean or Charter party bill of lading or airway bill or parcel post receipt (The Bill of Lading shall indicate the carrier's statement of charges in whatever currency it is paid)

(iii) Four copies of the payment certificate in the form given in Annexure IV (not required in respect of contracts for which contract certificate (Chemicals) in the form given in Annexure II(B) has been provided For this purpose, five blank forms of the payment certificate in the prescribed form should be attached to the letter of credit for completion at the time of obtaining payment

(iv) Three copies of the contract certificate prescribed in Annexure II or Annexure II(B)

Each document must show the grant title identification suffix, details of import licence and the particulars of the letter of authorisation issued by the Ministry of Finance However the document at (ii) above i.e. Ocean or charter party bill of lading or airway bill or parcel post receipt need only mention the identification suffix and the letter of credit number

2 While opening Letter of Credit the authorised Exchange Bank of India will, on behalf of the importer, take care to incorporate neecssary conditions in the Letter of Credit to ensure that the above requirements of documentation are noted and complied with by the UK suppliers

3 After the payment is made to the supplier, the corresponding bank in the UK will send by air mail the original negotiable set of documents to the Indian Bank concerned The Indian Bank will reimburse the UK Bank by remittance the payments made by it to the UK suppliers, along with the Bank Charges Payment to the UK Bank must be completed within 2 months of the expiry of I/I or within the period prescribed in the import control policy announced from time to time whichever is less The recovery of corresponding rupee equivalent by the Indian Bank from the importer for such foreign exchange remittances will be as per arrangements agreed to between them The UK Bank should also send a non-negotiable copy of the completed payment certificate to the Controller of Aid Accounts and Audit Ministry of Finance, Department of Economic Affairs UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi

VI INDIAN BANK'S RESPONSIBILITY TO ENABLE THE GOVERNMENT OF INDIA TO OBTAIN REIMBURSEMENT UNDER THE U K GRANT

After reimbursing the UK Bank of the sterling payments made by it to the UK suppliers along with the bank charges the Indian Bank should within the next 10 days send the necessary documents to the Controller of Aid Accounts & Audit Ministry of Finance Department of Economic Affairs UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi to enable to Government of India to obtain necessary reimbursement under the U K Grant The documents to be furnished are :—

(i) *Contract Certificate* in the form of Annexure II or Annexure II(B) (as it appropriate) duly signed by the U K supplier, and a copy of the relevant letter of credit

(ii) *Payment Certificate* in the form given in Annexure IV duly signed by the U K supplier

(iii) The invoice and Bills of Lading as mentioned in Section V Where there is more than one payment to be made to the UK Supplier under a contract, the Contract Certificate and a copy of the letter of credit need to be supplied only for the first payment and for the subsequent payments only the payment certificate and invoices need to be sent to the Ministry of Finance, but the identification suffix in the relevant contract certificate and the letter of credit should be quoted

VII REPORTS ON THE UTILISATION OF THE IMPORT LICENCES

A monthly report, in the form attached as Annexure V showing the utilisation status of the licence, should be furnished on or before the 7th of each month to (i) the Controller of Aid Accounts & Audit (Economic Aid Accounts Branch) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi and (ii) SO WF II, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, North Block, Secretariat, New Delhi

Where the release of foreign exchange has been made by the IFCI and ICICI, report should be furnished to the respective organisations concerned

VIII MISCELLANEOUS

1 Notifying Suppliers of Special Conditions —The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which affect the suppliers in carrying out the transaction

2 Refund from UK Suppliers —If any refunds are received by the licencee from the suppliers, the shipper or the insurer, a full report showing the amount received, together with other relevant particulars, should be sent to the Ministry of Finance at the address indicated in Section VI above, as and when refunds are received The report regarding refunds should be as in the proforma in Annexure VI

3 Disputes —It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any that may arise between the licensee and the suppliers or any liabilities as such between the licensee and the suppliers

4 Further Instructions —The licensee should promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement

5 Breach or Violation —Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Import and Export (Control) Act

IX LIST OF ANNEXURE BY TITLE

Annexure I	Notification of Contract
Annexure II	Contract Certificate
Annexure II(B)	Contract Certificate (Chemicals)
Annexure III	Form of Application for Letter of Credit Authorisation
Annexure IV	Payment Certificate
Annexure V	Monthly Report on ordering and Utilisation of Import Licence
Annexure VI	Report on refunds received

ANNEXURE I

IDENTIFICATION SUFFIX

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT GRANT 1978
NOTIFICATION OF CONTRACT

To

The Crown Agents

Notification of Contract No.....

The following are details of a contract under which it is proposed that payments shall be made in accordance with the terms and conditions of the above Grant.

1. Name and address of United Kingdom contractor :
2. Date of Contract :
3. Name of Purchaser :
4. Short description of goods and/or works or services :
5. Value of Contract : £
6. Terms of payment :

Signed on behalf of the Government of India

.....

Date .....

ANNEXURE II

IDENTIFICATION SUFFIX

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT GRANT 1978
CONTRACT CERTIFICATE
Particulars of Contract

1. Date of Contract.....Contract No.....
2. Import Licence No.....Date.....
3. Description of goods or services to be supplied to the purchaser.....
.....
.....
(If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate)
4. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C&F or FOB)
£.....

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTIONS MUST BE COMPLETED

(If the contractor is exporting agent only the information requested should be obtained from manufacturer).

5. Description of goods to be supplied to Purchaser	Price £	UK TARIFF/TRADE CODE NO.
.....	.....	.....
.....	.....	.....

6. Estimated % of the FOB value of the goods not originating in the United Kingdom, but purchased by the Contractor directly from abroad, i.e. % of imported raw material or components used in manufacture :
   (a) % FOB value.....
   (b) Description of items and brief specifications .....
7. If any raw material or components used originated from abroad, e.g. copper, asbestos, cotton, wood pulp, etc., but have been purchased in the United Kingdom by the contractor for this contract, specify :—
   (a) % FOB value.....
   (b) Description of items and brief specifications .....
   .....

IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED

8. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by :
   (a) Your firm (site engineers' charges, etc.).....

(b) Local contractor .....

9. State reasons for use of foreign items mentioned in paragraphs 6, 7 or 8 above e.g. no UK equivalent available, integral part of equipment etc. .....

10. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 6, 7 or 8 above.....

11. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin will be supplied by the Contractors other than those specified in paragraphs 6, 7, 8 and 10 above.

Signed .....
Position held .....
Name and address of Contractor.....
.....
Date .....

NOTE : For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE II(B)

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT GRANT 1978
CONTRACT CERTIFICATE FOR CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS ONLY

Date of Contract..... Contract No.....
Import Licence No..... Date .....
Identification Suffix.....

2. Description of Product(s) to be supplied to Purchaser (Note A)	£ Price	UK Tariff Classification No. (Note B)	Is the product of UK origin ? (See note C) State 'Yes' or 'No'
.....	.....	.....	
.....	.....	.....	
.....	.....	.....	

3. Total (Estimated) Contract Price payable by Purchaser in Sterling.....

4. (Declaration) I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate, and that the above information is correct.

Signed .....
Position held.....
Name and address of Contractor.....
.....
.....

Date .....

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products most of which are covered by the appropriate sub-headings of Chapter 15, 25, 28-35 and 37-40 of the UK Tariff.

B. SEE :—

(i) HM Customs and Excise Tariff HMSO.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature HMSO.

C. (i) A product is regarded as of 'UK origin' if made either wholly from indigenous UK materials OR according to the appropriate 'EFTA' qualifying process using imported materials wholly or in part.

(ii) The EFTA qualifying process are set out in Schedule I of the 'EFTA Compendium for the Use of Exporters', HMSO.

(iii) For the purposes of this declaration it is to be emphasised that the "Alternative percentage criterion" DOES NOT APPLY.

(iv) The words "Area Origin" where they appear in the above Schedule must be taken to mean "UK Origin" only.

(v) For the purposes of this declaration, the "Basic Materials List" (Schedule III of the EFTA Compendium) does not apply.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question advice should be sought from the Crown Agents, N4 Department, 4 Millbank, London SWIP 3JD.

D. For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE III

Form of Application for letter of Credit Authorisation

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
(Economic Aid Accounts Branch)
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building,
Parliament Street, New Delhi.

Subject : Import of.......................... ....from UK under UK/India Capital Investment Grant, 1978.

Sir,

In connection with the import of..from UK against the above UK Grant, we furnish the following particulars to enable you to issue us authorisation for opening a Letter of Credit through our bankers on the U.K. Bank designated by you :—

1. Name and address of the Indian Importer
2. (a) Particulars of Import Licence :—
   - (i) Full No. & Date
   - (ii) Value (Rs.)
   - (iii) Exchange rate as quoted in the Licence
   - (iv) Date upto which valid

   (b) The Allocation No./Identification Suffix, as given in the import licence

   (c) No. of contracts placed under the import licence so far

   (d) The serial number of the contract to which this application relates
3. Sterling value of licence
4. Sterling value of the order placed for which authorisation is required, specifying the name and address of the UK supplier/suppliers and the amount(s) of authorisations required separately against each supplier (copy of orders placed and UK Suppliers acceptance thereof to be attached). Amount (in F.C.) of Indian Agent's Commission if any should also be sepecifically indicated.
5. Name of the Indian Bank which will open Letter of Credit
6. Name of UK Correspondent Bank on whom the Letter of Credit is to be established

Yours faithfully,

Signature of the Licensee

ANNEXURE IV

IDENTIFICATION SUFFIX......................

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT GRANT 1978
PAYMENT CERTIFICATE

I hereby certify that

(i) The payments referred to in the invoices listed below which or copies of which accompany this payment certificate, fall due and are due to be made in respect of Contract No.................. ....dated....... .... between the Contractor named below and..(Purchaser) ....and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said Contract on..................................... ....

Contractor's Invoice No.	Date	Amount	Short description of goods works and/or Services

(ii) The amounts specified in paragraph (i), do not include any additional foreign content to that declared in paragraphs 6, 7 or 8 of the contract certificate.

(iii) I have the authority to sign this certificate on behalf of the Contractor named below.

Signed ....
Position held ....
For and on behalf of.....................................
Name and address of Contractor............................
....
Date ....

NOTE : For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE V

Form of Utilisation Report in respect of United Kingdom/India Capital Investment Grant, 1978

(To be furnished separately in respect of each import licence) (where there are more than one contract against an import licence, the information would be given in respect of each contract, separately)

Identification suffix.....
(See Section I—Para 2)

1. Name & Address of the Importer
2. Import Licence No. & date, and the value thereof
3. Date and value of orders placed against the above import licence
4. Where orders have been placed for the full value of the import licence indicate the phasing of balance ordering
5. Confirmation whether the contract documents have been/are being sent to the Controller of Aid Accounts and Audit/Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi in accordance with the relevant stipulation in the licensing conditions (No. & Date of communication(s) quoted)
6. Details with value of letter(s) of credit opened in favour of the UK Supplier(s)
7. Phasing of payment (in £s and Rs.)
   A. Actual payment made to UK suppliers
      (i) April-September
      (ii) October-March
      (iii)
      (iv)
      (and so on)
   B. Estimates of payments to be made to UK Suppliers
      (i) April to September
      (ii) October to March
      (iii)
      (iv)
      (and so on)

Signature .....

8. Indicate specifically the portion of the import licence not covered by the orders and thus surrendered

Signature .....

ANNEXURE VI

Report showing details of refunds received from Supplier/Shippers/Insurers (towards settlement of claims for short Landings, demages etc.) in respect of imports from the UK under UK/India Capital Investment Grant, 1978

(Only for claims settled in £ Sterling)

1. Name of importing Firm
2. Particulars of UK Grant
3. No. and Date of Import Licence
4. Value of Import Licence
5. Amount of refund received
6. Nature of refund (give brief details)
7. Reference to the relative documents under which payment was made initially to the UK Suppliers (indicate name of Indian Bank and reference to their letter No. & Date, forwarding the documents to the Ministry of Finance)
8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods, if not confirm that amount has been actually received and encashed into rupees
9. Remarks

Signature of the authorised
Office of the importing firm

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978